बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 20/04/2016

संख्या 11(फा०) स्वा० 12/2014(11)/भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी कर्मियों के संवर्ग में नियुक्ति एवं अन्य सेवाशर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**– (1) यह नियमावली "बिहार फाइलेरिया नियंत्रण तकनीकी कर्मी संवर्ग नियमावली, 2016" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– जबतक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;

(iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है/बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार तकनीकी कर्मचारी आयोग के कार्यरत होने तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(iv) 'निदेशालय' से अभिप्रेत है निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार;

(v) 'निदेशक प्रमुख' से अभिप्रेत है निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार;

(vi) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार;

(vii) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार फाइलेरिया नियंत्रण तकनीकी कर्मी संवर्ग; तथा

(viii) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट।

3. **संवर्ग का गठन।**– (1) फाइलेरिया तकनीकी कर्मी संवर्ग राज्य स्तरीय होगा और इसमें निम्नलिखित उपसंवर्ग होंगे :–

(i) श्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ता उपसंवर्ग

(ii) कीट संग्रहकर्ता उपसंवर्ग।

(2) इस संवर्ग के प्रत्येक उपसंवर्ग की प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा, समय–समय पर, स्वीकृत की जाय।

(3) इस संवर्ग के प्रत्येक उपसंवर्ग की प्रत्येक कोटि के पदों का वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चित किया जाय।

4. **भर्ती एवं भर्ती की प्रक्रिया।**– (1) इस संवर्ग के प्रत्येक उपसंवर्ग में नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा परिशिष्ट में यथाविर्निदिष्ट, के अनुसार होगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रिल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रील तक भेज देगा। अधियाचना के आलोक में, आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदनपत्र आमत्रित करेगा और परिशिष्ट के स्तम्भ–8 में विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन कर मेधासूची तैयार करेगा।

(3) उम्र के निर्धारणार्थ, संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को कट ऑफ डेट माना जायेगा।

5. सीधी भर्ती हेतु मेधासूची तैयार करने के पश्चात किन्तु अनुशंसा करने के पूर्व, आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से प्रमाणपत्रों की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात, आरक्षण कोटिवार अन्तिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी, प्रमाणपत्रों की जाँच के पश्चात, अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा। आयोग की अनुशंसा की प्राप्ति के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

6. **परिवीक्षा अवधि।**– नियुक्ति परिवीक्षा पर होगी और परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकार उसको एक वर्ष के लिए विस्तार कर सकेगें यदि संबंधित अभ्यर्थी में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो ऐसे व्यक्ति की सेवा समाप्त की जा सकेगा।

7. **प्रशिक्षण।**– परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विहित किये गये प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण का विस्तृत मोड्यूल निदेशालय द्वारा तैयार किया जायेगा।

8. **विभागीय परीक्षा।**– नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विहित की गयी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम निदेशालय द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

9. सम्पुष्टि।— परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कोई कर्मी सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

10. वरीयता।— आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित अन्तिम मेधासूची के क्रमानुसार अवधारित की जायेगी, परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्तियों की वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।

11. प्रोन्नति।— (1) सेवा में सम्पुष्ट कर्मियों की प्रोन्नति, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, परिशिष्ट के स्तम्भ–9 में उल्लिखित पद–सोपान के प्रथम एवं द्वितीय सोपानों के पदों पर, वरीयता सह मेधा तथा तृतीय सोपान के पदों पर मेधा–सह–वरीयता के अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

(3) प्रोन्नति के लिए सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय–समय पर, निर्गत 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(4) सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्गत प्रोन्नति की शर्तों संबंधी और चारित्री या पी० ए० आर० संबंधी, आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

12. आरक्षण।— सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा, समय–समय पर, सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

13. परिशिष्ट में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से, नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

14. अवशिष्ट मामले।— इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

15. निर्वचन।— यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, अंतिम होगा।

16. कठिनाई का निराकरण।— यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार ऐसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण कर सकेगी।

4/6(17)
20/4/16

17. **निरसन एवं व्यावृत्ति**।– (1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय–समय पर निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किए जाते है।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

416(11)
20/4/16

परिषिष्ट

बिहार फाइलेरिया नियंत्रण तकनीकी कर्मी संवर्ग

क्रम संख्या	उपसंवर्ग का नाम	मूल कोटि के पद का नाम	सीधी भर्ती से या प्रोन्नति द्वारा	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ	सीधी भर्ती हेतु आयुसीमा		सीधी भर्ती की प्रक्रिया	प्रोन्नति के पद–सोपान	कर्तव्य
					न्यूनतम	अधिकतम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ता उपसंवर्ग	श्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ता	सीधी भर्ती	इंटरमीडिएट/ 10+2 उत्तीर्ण	18 वर्ष	वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित की जाय।	आयोग द्वारा संचालित इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर।	**प्रथम सोपान–** वरीय श्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ता **द्वितीय सोपान–** श्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ता पर्यवेक्षक **तृतीय सोपान–** वरीय श्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ता पर्यवेक्षक	मच्छर प्रजनन वाले जगहों पर लार्वा निरोधी दवा का छिडकाव करना। कार्य का पूरा ब्यौरा तैयार कर प्रतिवेदन फाइलेरिया निरीक्षक को देना। रात्रि में रक्त सर्वेक्षण का कार्य फाइलेरिया निरीक्षक के साथ करना जिसके आधार पर छिडकाव संबंधी प्रतिवेदन राज्य सरकार एवं भारत सरकार को भेजी जाती है। फाइलेरिया निरीक्षक की अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यों को करना। इसके अतिरिक्त अन्य वे सभी कार्य जो निदेशक प्रमुख द्वारा समय–समय पर आदेशित किये जायें।
2.	कीट संग्रहकर्ता उपसंवर्ग	कीट संग्रहकर्ता	सीधी भर्ती	इंटरमीडिएट/ 10+2 उत्तीर्ण	18 वर्ष	यथा उपर्युक्त	यथा उपर्युक्त	**प्रथम सोपान–** वरीय कीट संग्रहकर्ता	गाँव, शहर, मुहल्लें एवं कस्बों में मच्छरों का संग्रह करना। संग्रहीत मच्छरों को प्रयोगशाला में लाकर विच्छेदन करना एवं माइक्रोस्कोप

416(11).
20/4/16

								द्वितीय सोपान– कीट संग्रहकर्ता पर्यवेक्षक **तृतीय सोपान–** वरीय कीट संग्रहकर्ता पर्यवेक्षक	द्वारा पोजिटीव एवं निगेटिव होने की जाँच करना। जाँच के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करना जिसके आधार पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जाता है और रोगों के प्रकोप के बारे में रोग नियंत्रण कार्यक्रम तय किये जाते हैं। प्रभारी प्रयोगशाला प्रावैधिक की अनुपस्थिति में उनका सारा कार्य करना। इसके अतिरिक्त अन्य वे सभी कार्य जो निदेशक प्रमुख द्वारा समय–समय पर आदेशित किये जायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11.5.16

सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांकः– 11/ फा॰दु॰ (स्था॰) 12/ 2014 (11) दिनांकः– 20/04/2016.

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11.5.16

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 20/04/2016

संख्या- 417 (11) / अधिसूचना संख्या-416 (11) दिनांक- 20/04/2016 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11/4/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

Government of Bihar

HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Patna, Dated 20/04/2016

No. 416 (11) /In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the appointment and service conditions in the cadre of technical personnels under the Filaria Control Programme under the Health Department.

1. Short title, extent & commencement. – (1) These Rules may be called the "Bihar Filaria Control Technical Personnel Cadre Rules, 2016".

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions. - In these Rules, unless it is otherwise required in the subject or context :-

(i) 'Government' means State Government of Bihar;

(ii) 'Department' means The Health Department;

(iii) 'Commission' means The Bihar Technical Staff Selection Commission or The Bihar staff Selection commission till the working of The Bihar Technical Staff Selection Commission;

(iv) 'Directorate' means The Directorate, Health Services, Bihar;

(v) 'Director in Chief' means The Director in Chief, Health Services, Bihar;

(vi) 'Appointing Authority' means The Director in Chief, Health Services, Bihar;

(vii) 'Cadre' means The Bihar Filaria Control Technical Personnel Cadre; and

(viii) 'Appendix' means appendix appended to these Rules.

3. Constitution of Service. – (1) The Filaria Technical Personnel Cadre shall be State Level and in this cadre, there will be following sub-cadres, namely :-

(i) Superior Field Worker sub-cadre

(ii) Insect Collector sub-cadre

(2) The number of posts of each category of each sub-cadre of this cadre and the number of the total posts shall be as many as may be sanctioned by the Government, from time to time.

(3) The pay-scale of posts of each category of each sub-cadre of this cadre shall be such as may be determined by the Government, from time to time.

4. Recruitment & Procedure of recruitment. – (1) The appointment in each subcadre of this cadre shall be made by direct recruitment according to as specified in the Appendix.

(2) The Appointing Authority, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send reservation categorywise requisition to the Commission latest by 30th April. In the light of requisition, the Commission shall invite applications by advertising vacancies and shall prepare merit list according to the procedure prescribed in the column-8 of the Appendix.

417 (11)
20/4/16

(3) 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for determination of age.

5. After preparation of merit list for direct recruitment, but before the recommendation preliminary scrutiny of the certificates and medical check up shall be conducted by the Commission with the cooperation of the Appointing Authority, and thereafter, reservation categorywise final recommendation shall be sent to the Appointing Authority. At the level of Appointing Authority also, antecedents of recommended candidates shall be caused to be verified after scrutiny of certificates. After receipt of recommendation of the Commission, compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with reference to procedure of appointment, shall be necessary.

6. Probation Period. – The appointment shall be on probation and the probation period will be of two years. In case, during probation period the service is not satisfactory, the appointing authority may extend the same for one year if there is chance of improvement in the candidate concerned. If the service is not found satisfactory in extended period also, then the service of such person may be terminated.

7. Training. – During probation period, it shall be essential to participate in the training prescribed by the Appointing Authority. The detailed module of training shall be prepared by the Directorate.

8. Departmental Examination. – It shall be essential to pass the Departmental Examination prescribed by the Appointing Authority. The syllabus of Departmental Examination shall be determined by the Directorate.

9. Confirmation. – On satisfactory completion of probation period, successful completion of training and passing of departmental examination, a personnel may be confirmed in the service.

10. Seniority. – The inter-se seniority shall be determined according to the final merit list prepared by the Commission, but the seniority of personnels appointed and working from before coming into force of these Rules shall remain unchanged.

11. Promotion. – (1) Subject to availability of vacancy, confirmed personnels may be considered to be promoted to the 1st ladder and 2nd ladder of the posts of chain mentioned

in column-9 of the Appendix, according to seniority -cum- merit and 3rd ladder on merit com seniority on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

(2) The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department.

(3) It shall be essential to comply the instructions with respect to 'KALAWADHI' for promotion issued by the Government (General Administration Department), from time to time.

(4) Compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to conditions of promotion and Character Roll/P.A.R., allegation, departmental proceeding/criminal proceeding etc. shall be required at the time of consideration of promotion.

12. Reservation. – Compliance of Reservation Act of the Government and reservation roster for direct recruitment and promotion, issued by the Government. from time to time, shall be necessary.

13. The personnels appointed/promoted and working on the posts of this cadre mentioned in the Appendix, from before coming into force of these Rules, shall be deemed to be automatically included in this cadre.

14. Residue matters. – Provisions of relevant codes/Rules/Resolutions/ Instructions of the Government shall apply to such subjects for which provisions have not been made in these Rules.

15. Interpretation. – If any doubt arises with respect to interpretation of any of the provisions of these Rules, it shall be referred to the Department and in this respect, the decision of the Department after consultation with General Administration Department and The Law Department shall be final.

16. Removal of difficulties. – If any difficulty arises in implementation of any of the provisions of these Rules, the State Government, by General or special order, which is not inconsistent with the provisions of these rules, may remove any such difficulty.

17. Repeal & Savings. – (1) The Rules. All Resolutions, Orders, Instructions, etc. issued earlier, by the Department, from time to time, with respect to this cadre, are hereby repealed with effect from the date of coming into force of these Rules.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the Rules, Resolutions, Orders, Instructions, etc shall be deemed to be done or taken under these Rules, as if these Rules were in force on the date on which such thing was done or such action was taken.

APPENDIX

Bihar Filaria Control Technical Personnels Cadre

Sl. No.	Name of Sub-cadre	Name of post of basic grade	By direct recruitment or by promotion	Minimum educational qualification for direct recruitment	Age limit for direct recruitment		Procedure of direct recruitment	Chain of posts for promotion	Duties
					Minimum	Maximum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Superior Field Worker sub-cadre	Superior Field Worker	Direct recruitment	Intermediate / 10+2, Pass	18 years	Shall be the same as determined reservation category-wise by the General Administration Department, from time to time	On the basis of Intermediate level competitive examination conducted by the Commission.	**First ladder** – Senior Superior Field Worker **Second ladder** – Superior Field Worker Supervisor **Third ladder** – Senior Superior Field Worker Supervisor.	Spray of Larva Preventive medicines at mosquito producing places, submission of report to filalria inspector after preparation of work details. working of blood survey work in the night with the filaria inspection on which basis spray related report is submitted to State Govt & GOI. To do all works of filaria inspector in his absence. In addition to this all such works which are ordered by the Director-in-Chief from time to time

417 (II).
20/4/16

2.	Insect Collector sub-cadre	Insect Collector	Direct recruitment	Intermediate / 10+2, Pass	18 years	As above	As above	**First ladder** – Senior Insect Collector **Second ladder** – Insect Collector Supervisor **Third ladder** – Senior Insect Collector Supervisor	Collection of mosquitoes in villages, Town, Mohallas & colonies. Dissection of collected mosquitoes after bring in the laboratories & microscopic test for being positive & negative. Preparation of report on the basic of test, on which basis report is sent to state govt. & GOI & disease Control Programme is determined regarding effect of disease. To do all works of incharge lab Technician in his absence. In addition to this all such works which are ordered by the Director-in-Chief from time to time

By order of the Governor of Bihar,

Joint Secretary to Government

ज्ञापांक 417 (11) /पटना, दिनांक 20/04/2016

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव